न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी– कमला अलारिया (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः 09/2022

दायर दिनांक 02.02.2022

1 सुभाष चन्द्र
2 कृष्णा
3 बिमला
4 इन्द्रा

} पुत्र/पुत्री श्री काशीराम अकवाम जाट

निवासीयान भैरूपुरा उर्फ सीलवाणी तह.सूरतगढ

अपीलांटगण

बनाम

1 बनवारीलाल पुत्र श्री काशीराम जाति जाट साकिन भैरूपुरा उर्फ सीलवानी तहसील सूरतगढ जिला श्रीगगांनगर।
2 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ।

–उत्तरवादीगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू. राजस्व अधिनियम

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 13.4.2022

उपस्थित :– 1. श्री शिशपाल शर्मा – अधिवक्ता अपीलांटगण
2. श्री सुभाष बिशनोई अधिवक्ता :– उतरवादी नं. 01 की और से
3.पैरोकार राज तहसीलदार सूरतगढ :– उतरवादी न. 2 की और से

1. अपील के सक्षेप मे तथ्य इस प्रकार से है कि अपीलांटगण ने यह अपील पेश कर निवेदन किया, कि अपीलांटगण व उतरवादी न. 01 के पिता काशीराम के नाम से चक 41 पी.बी.एन. की जमाबंदी सम्वत 2070 ता 73 के खाता नं. 12/15 के पत्थर नं. 75/377 (41) के किला नं. 1 में 0.253 है0, 9/1 में 0.139 है0, 10 ता 12 में 0.759 है0 19–20 में 0.506 है0 कुल 1.657 है0 नाली दोयम व पत्थर नं. 76/377 (42) के किला नं. 1 ता 25 में 6.325 है0 नाली दोयम मय गै.मु.रास्ता व पत्थर नं. 75/378 (46) के किला नं. 15/2 में 0.139 है0, 17/1 में 0.202 है0, नाली दोयम कुल 0.341 है0 नाली दोयम इस प्रकार उक्त तीनो पत्थर नम्बरान मे कुल 8.323 है0 (8.072 है0 नाली दोयम 0.251 है0 गै.मु.रास्ता) भूमि खातेदारी दर्ज राजस्व रिकॉर्ड थी। जिसमें उतरवादी नं. 01 का नाम श्रीमान सहायक कलक्टर सूरतगढ़ की घोषणात्मक डिक्री से 1/6 हिस्सा दर्ज हुआ व अपीलांट के पिता के फौत हो जाने के उपरान्त अपीलांट के पिता के नाम का उक्त तमाम 8.323 है0 रकबा में अपीलांटगण व उतरवादी नं. 01 का 1/5–1/5 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड खातेदारी इंतकाल नं. 378 दिनांक 05.12.2016 से दर्ज हुआ। इसके उपरान्त उतरवादी नं. 01 ने अपने हिस्से व कब्जा काश्त के पत्थर नं. 75/377 के किला नं. 19, 20 के 0.506 है0 रकबा का बेचान करना चाहता था इसलिये अपीलांटगण से उक्त 2 बीघा रकबा के बेचान की आड़ में खाता विभाजन के हस्ताक्षर करवा लियें खाता विभाजन में हमारी कोई सहमति नही थी। खाता विभाजन के नक्शा को हमें बिना दिखाये हस्ताक्षर करवा लिये हमारे से मात्र 2.00 बीघा भूमि के बेचान की सहमति मांगी थी। हमारा कभी भी बंटवारानामा नही हुआ आज भी अपीलांटगण व उनकी बहने सांझा ही रकबा काश्त करते है। इस खाता विभाजन के आदेश मे अपीलांटगण नं. 1 को पत्थर नं. 76/377 के किला नं. 21 ता 23 का रकबा दिया गया है जिसमें कोई रास्ते नही लगते अपीलाट नं. 01 को दिये जा रहे रकबे के ही दो टुकड़े कर दिये है अपीलांटा नं. 03 बिमला को भी पत्थर नं. 75/377 के किला नं. 9 का 0.120 है0 रकबा दिया गया है इस रकबा को भी कोई रास्ता नही लगता रास्ता अभाव में अपीलांटगण अपने रकबा की काश्त

नही कर सकतें जबकि खाता विभाजन में राजस्व मण्डल के सरकारी नियमों के अनुसार प्रत्येक काश्तकार को रास्ता व खाला की सुविधा दी जानी चाहिए। जबकि इस आदेश मे रास्ता व खाला की सुविधा को नजरअंदाज कर दिया है तथा पटवारी हल्का ने भी बिना मौका देखे छपे छपाये परफोर्मा पर अपनी रिपोर्ट कर दी है। पटवारी हल्का ने रिपोर्ट करते समय यह भी नही देखा कि अपीलांटगण के रकबा के अनेको टुकड़े हो रहें हैं इसके अलावा अपीलांट नं. 1 का पत्थर नं. 76/377 के किला नं. 7 में टयूब्वैल लगा हुआ है इस टयूब्वैल पर विधूत कनैक्शन लगा हुआ है जबकि खाता विभाजन के आदेश में यह रकबा अपीलांट नं. 01 को देने की बजाय अपीलांट नं. 03 के नाम से खातेदारी खाता विभाजन में दे दिया है। उतरवादी नं. 01 ने अपने हिस्से के रकबा में से 2.00 बीघा रकबा मनोज कुमार–विजय कुमार पिसरान घनश्याम को बेचान किया है व कब्जा मौका पर पत्थर नं. 75/377 के किला नं. 19, 20 के 0.506 है0 रकबा का सौंपा है जिसके बाबत अपीलांट को कोई आपति नही है परन्तु शेष रहे 7.817 है0 रकबा में से अपीलांट नं. 01 ता 04 का 6.659 है0 खातेदारी बहिस्सा बराबर व 1.158 है0 उतरवादी नं. 01 के नाम दर्ज होने योग्य है। अपीलांटगण को अब दिनांक 21.12.2021 को जैर अपील आदेश की जानकारी प्रथम बार मिली व जानकारी होते ही बिना किसी देरी के यह अपील पेश की जा रही है जिसे स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सूरतगढ़ का आदेश दिनांक 24.01.2017 का निरस्त किया जाकर चक 41 पी.बी.एन. की उक्त 8.323 है0 नाली दोयम मय रास्ता भूमि मे से उतरवादी नं. 01 द्वारा मनोज कुमार–विजय कुमार पिसरान घनश्याम को चक 41 पी.बी.एन. के पत्थर नं. 75/377 के किला नं. 19 व 20 की 0.506 है0 रकबा का बेचान यथावत रखा जाकर शेष 7.817 है0 रकबा में अपीलांटगण नं. 01 ता 04 का 6.659 है0 व उतरवादी नं. 01 के नाम 1.158 है0 रकबा संयुक्त खाता में पूनः दर्ज किये जाने के आदेश किया जावें।

2. अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर उतरवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया व अधिनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। उतरवादी नं. 01 ने जवाब अपील पेश करते हुए अपील स्वीकार करने मे अपनी सहमति प्रकट की राज्य सरकार की और से पैरोकार उपस्थित होकर फैसला यथावत रखने का निवेदन किया।

3. उभयपक्ष की बहस सुनी गयी अपीलांटगण के अधिवक्ता ने अपील मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलांटगण के हस्ताक्षर बंटवारानामा लिखवाकर व नक्शा बनाकर किये जाने की बजाय खाली पेपर पर ही हस्ताक्षर करवाये थे तथा उक्त खाता विभाजन आदेश मे रास्ता व खाला की सुविधा का अभाव है इसलिये अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त कर उतरवादी नं. 01 द्वारा बेचान किये गये रकबा को छोड़कर शेष रकबा अपीलाटगण व उतरवादी नं. 01 के नाम सांझा रखा जावे। कानूनी नजीर डी.एन. जै 1996 पेज 01 प्रस्तुत की।

4. उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय के खाता विभाजन के आदेश के खिलाफ अपीलाटगण द्वारा प्रस्तुत अपील पेश करने में हुई देरी का खण्डन, उतरवादीगण ने नही किया है, इसलिये इस निर्णय के विरूद्ध अपील पेश की जाने में हुई देरी माफ किया जाकर इसका निर्णय मैरिट पर किया जाना उचित समझते है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार अपीलाधीनं आदेश से अपीलांट नं. 01 के रकबा के दो टुकड़े किये है, जिसमें से पत्थर नं. 76/377 के किला नं. 21 ता 23 के रकबा को कोई रास्ता नही है तथा अपीलांट नं. 03 बिमला के रकबा के ही 2 टुकड़े किये है जिसमे से पत्थर नं. 75/377 के किला नं. 9 के रकबा को कोई रास्ता नही है जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार सहमति के बंटवारानामा में भी प्रत्येक काश्तकार के रकबा को रास्ता व खाला की सुविधा को प्रत्येक काश्तकारों को दी जानी आवश्यक है व जहॉ तक हो प्रत्येक सह काश्तकार को मिलने वाले रकबा के टुकड़े भी कम से कम हो जबकि अपीलाधीन आदेश मे सह काश्तकारो के रकबा को खाता विभाजन मे मिलने वाले रकबा के टुकडे भी ज्यादा किये है व सह काश्तकारो को मिलने वाला रकबा मे अपीलाट न 1 व 3 को रास्ता भी नही मिला है व अपीलांट नं. 01 का लगाया हुआ टयूब्वैल बंटवारानामा में अपीलांट नं. 03 बिमला को दे दिया है। अधीनस्थ

न्यायालय मे पटवारी हल्का द्वारा सह काश्तकारो को न्यायालय मे दिनांक 20.01.2017 को उपस्थित मानकर पहचान की गई है तथा पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक 24.01.2017 को सह काश्तकारों को उपस्थित मानकर आदेश दिया गया है। इसलिये सभी पक्षकारान की एक साथ उपस्थिति मे रकबा का नक्शा तैयार किया गया हो ऐसा साबित नही हो रहा है तथा उक्त अपीलाधीन खाता विजाजन आदेश को निरस्त करने में उतरवादी न 1 भी सहमत है तथा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत कानूनी नजीर डी.एन.जे. पेज नं. 1 में राजस्थान हाईकोर्ट में यह सिद्धान्त पारित किया है कि आदेश 43 नियम 01 सी.पी.सी. के अनुसार पक्षकार चाहे तो धारा 96 (1) के अन्तर्गत समझौता की वैधता के प्रश्न पर पक्षकार अपील पेश कर सकता है। यह कानूनी नजीर इस प्रकरण पर हुबहू लागु होती है। इस प्रकार अपीलांटगण की अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का जैर अपील आदेश निरस्त किया जाना उचित समझतें है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर तहसीलदार (भू.अ.) सूरतगढ़ का अपीलाधीन खाता विभाजन का आदेश दिनांक 24.01.2017 निरस्त किया जाता है व उतरवादी नं. 01 द्वारा अपने हिस्सा मे से बेचान की गई चक 41 पी.बी.एन. के पत्थर नं. 75/377 के किला नं. 19, 20 की 0.506 है0 रकबा खातेदारी ख़रीददार मनोज कुमार, विजयकुमार पुत्रगण घनश्याम के नाम यथावत रखी जाकर अपीलाधीन 8.323 हैक. रकबा मे से उतरवादी न 1 के हिस्सा मे से कम की जाकर शेष रकबा चक 41 पी.बी.एन. की जमाबंदी सम्वत 2070 ता 73 के खाता नं. 12/15 के पत्थर नं. 75/377 (41) के किला नं. 1 में 0.253 है0, 9/1 में 0.139 है0, 10 ता 12 में 0.759 है0 कुल 1.151 है0 नाली दोयम व पत्थर नं. 76/377 (42) के किला नं. 1 ता 25 में 6.325 है0 नाली दोयम मय गै.मु.रास्ता व पत्थर नं. 75/378 (46) के किला नं. 15/2 में 0.139 है0, 17/1 में 0.202 है0, नाली दोयम कुल 0.341 है0 नाली दोयम इस प्रकार उक्त तीनो पत्थर नम्बरान मे कुल 7.817 है0 नाली दोयम मय रास्ता भूमि में अपीलांट नं. 01 ता 04 के नाम 6.659 है0 बहिस्सा बराबर खातेदारी व उतरवादी नं. 01 के नाम 1.158 है0 खातेदारी दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है व रकबा रहन हो तो रहन का नोट यथावत रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर दफतर दाखिल हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कमला अलारिया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ